राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– **2054 / 2024**

डॉ. योगेश चन्द मोदी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवायलय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, शासन सचिवायलय, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय, जयपुर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक :– 19.06.2024

समक्ष :– **अनन्त भंडारी ,सदस्य(न्यायिक)**
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री तनवीर अहमद उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की अपीलार्थी की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी सह आचार्य (Anaesthesia) के पद पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा मेडिकल कॉलेज, अजमेर में़ स्थानान्तरण किया गया है। उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 08.06.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने के पश्चात करीब तीन माह पश्चात कार्यमुक्त किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के पास अध्ययनरत पीजी पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को अपनी Thesis पेश करनी है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है।
4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।
5. हम यह नहीं पाते है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये जाने पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत पीजी विद्यार्थियों के अधीन

अध्यापन में कोई विपरीत असर पडेगा। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है वह अपने कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करे और विवेक के प्रयोग से अगर नियोक्ता द्वारा किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण किया जाता है तो उस आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है, जब वह आदेश विधि विरूद्ध या दुर्भावनापूर्वक पारित किया गया हो। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश में हम कोई विधि विरूद्धता एवं दुर्भावना होना नहीं पाते हैं।

6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)